आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या—165/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामध्यान राम वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

अमरेश लाल रजक वगैरह .....द्वितीय पक्ष

PNO—07
16-8+8

04.01.2018

यह प्रक्रिया आवेदक 1. रामध्यान राम पिता—गोधन राम, 2. देवसीया देवी पति—रामध्यान राम 3. जीवन राम पिता—स्व0 विशु राम, 4. लक्षुमण राम पिता—स्व0 विशु राम, सभी ग्राम—सकलदीपा, थाना—पीपरा, जिला— पलामू ने 1. अमरेश लाल रजक पिता—सोमारू रजक, 2. सरयू रजक पिता—सोमारू रजक, 3. मनोज रजक पिता—सोमारू रजक सभी ग्राम—सकलदीपा, थाना—पीपरा, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, पीपरा से इस कार्यालय के ज्ञापांक 1110 दिनांक 25.09.2017 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, पीपरा ने अपने DR N0- 403/17 दिनांक 23.10.2017 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:— मौजा— केदवरीया, खाता सं0— 17, प्लॉट सं0— 101/क, रकबा—2.50 एकड़, चौहद्दी, उतर—बिहार सरकार, दक्षिण—विशु राम, पूरब—रास्ता, पश्चिम—पहाड़ एवं जंगल रिजर्व, एवं खाता सं0— 17, प्लॉट सं0— 101/ख, रकबा—2.50

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	

एकड़, चौहद्दी, उत्तर—रामध्यान राम, दक्षिण—बिहार सरकार, पूरब—रास्ता, पश्चिम—जंगल—झाड़ी एवं रिजर्व जंगल के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष को बंदोबस्ती वाद सं०—01/1988—89 से सरकार द्वारा विशु राम वगैरह के नाम पर बंदोबस्त हुआ था और बंदोबस्ती के बाद विशु राम का शांतिपूर्वक दखल—कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित हुआ तथा सरकारी लगान रसीद विशु राम के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। विशु राम के मृत्यू के बाद बंदोबस्ती के भूमि पर उनके पुत्र का दखल—कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित हुआ एवं आज तक जोत— कोड़ करते चले आ रहे हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह वाद ग्राम— कोदवरीया, थाना— पीपरा के खाता सं०— 17, प्लॉट सं०— 101/क एवं प्लॉट सं०—101/ख के प्रत्येक प्लॉट का रकबा— 2.50 एकड़ भूमि पर प्रारम्भ किया गया है। प्लॉट सं०— 101 का सम्पूर्ण रकबा— 40 एकड़ सर्वे खतियान में दर्ज है। जीवन राम एवं लक्षुमण राम, विशु राम के डहरूआ पुत्र (दुसरे पति से उत्पन पुत्र) थे तथा उनका निवास सकलदीपा एवं कोदवरिया में नहीं था। विशु राम का शादी जिस महिला से हुआ था उसकी शादी पूर्व में दिपउवा, पाटन में हुआ था जिससे दो पुत्र थे, जहाँ उनका पैतृक भूमि है और वे दोनो भूमिहीन नहीं हैं, वे प्रसंगाधिन भूमि बंदोबस्त करने के लिए सुयोग्य नहीं है। इसलिए गैरमजरूआ भूमि बंदोबस्ती के लिए योग्य व्यक्ति नहीं

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है। प्रतिवादी का मूल निवास स्थान सकलदीपा में है जो कोदवरीया का सीमावर्ती है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने विवादी भूमि को खेती के योग्य बनाया था। द्वितीय पक्ष के अमरेश लाल रजक एवं उसकी पत्नी को बंदोबस्ती वाद सं0—45/1994—95 से 2 एकड़ भूमि प्राप्त है, जिसका बंदोबस्ती परवाना निर्गत किया गया है जिस पर द्वितीय पक्ष का दखल—कब्जा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि में कुंआ भी बनाया गया है। प्रथम पक्ष को इस भूमि पर दावा करने का कोइ अधिकार नहीं है। अतः निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा प्रथम पक्ष के पक्ष में निरपेक्ष किया जाय।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0—01/1988—89 के परवाना का छायाप्रति (कुल रकबा— 5 एकड़) एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वरा अपने दावे के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0—45/1994—95 के परवाना का छायाप्रति (कुल रकबा— 2 एकड़) एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्ष के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है।

अतः प्रकिया अंतर्गत निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निरपेक्ष किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

4/1/18

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:14:48 +05:30
Location: 192.168.238.105

4/1/18

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।